

कुलसचिव कार्यालय  
लखनऊ विश्वविद्यालय,  
लखनऊ।

संख्या .....  
दिनांक.....

कार्यालय आदेश

प्रायः देखने में आया है कि विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न विभागों/कार्यालयों/छात्रावासों में कार्यरत कर्मचारी निर्धारित कार्यालय समय का अनुपालन न करते हुए विलम्ब से आते हैं एवं समय से पूर्व कार्यालय छोड़कर चले आते हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यालय में निर्धारित समय से 15 मिनट विलम्ब से आने अथवा निर्धारित से 15 मिनट पहले जाने पर एक अर्द्ध अवकाश (Half Leave) माना जायेगा तथा कार्यालय अवधि में एक माह में अधिकतम 02 बार कार्यालय विलम्ब से आने अथवा पहले जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा प्रत्येक 02 बार देर से आने अथवा जाने पर एक दिवस का आकस्मिक/अर्जित अवकाश काटा जायेगा।

अतः मा0 कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक/इंचार्ज द्वारा उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा व्यक्तिगत रूप से स्वयं के स्तर से इसका परीक्षण कर तदनुसार आकस्मिक/अर्जित अवकाश का समायोजन कर कुलसचिव को सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

कुलसचिव

संख्या- R/855/2026

दिनांक- 03/07/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक/इंचार्ज, ल0वि0।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ल0वि0।
4. वित्त अधिकारी, ल0वि0।
5. परीक्षा नियंत्रक, ल0वि0।
6. कुलानुशासक, ल0वि0।
7. मुख्य अभिरक्षक, ल0वि0।
8. कार्य अधीक्षक, निर्माण विभाग, ल0वि0।
9. अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष, टैगोर पुस्तकालय, ल0वि0।
10. निदेशक, आई0पी0पी0आर0, ल0वि0।
11. अधीक्षक, भूमि एवं उद्यान, ल0वि0।
12. समस्त अभिरक्षक/अभिरक्षिका, ल0वि0।
13. समस्त उपकुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
14. समस्त सहायक कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
15. इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय परिसर के समस्त विभागों/कार्यालयों/छात्रावासों में स्थापित बायोमेट्रिक मशीन में कार्यालय समयावधि के 15 मिनट विलम्ब से आने पर एवं 15 मिनट पहले जाने पर बायोमेट्रिक मशीन में उपस्थित दर्ज न हो, का तत्काल प्रभाव से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
16. इंचार्ज, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि समस्त को ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करने कष्ट करें।
17. कार्यालय प्रति।

कुलसचिव